HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Rohtak **Year (वर्ष):** 2026

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0023 **Date (दिनांक):** 04/08/2026 15:12

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 04/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/08/2026

   Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 13:25 hrs **Time To (समय तक):** 13:25 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/08/2026 **Time (समय):** 14:40 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Time (समय):** 04/08/2026 14:46 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 7 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): मकडोली टोल पानीपत रोड रोहतक,

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** अजीत

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री सुबे सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1991 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव चुलकाना धाम, तहसील समालखा जिला पानीपतPANIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव चुलकाना धाम, तहसील समालखा जिला पानीपतPANIPAT, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	श्रीभगवान		

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में
श्रीमान निरीक्षक महोदय जी,
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
रोहतक मण्डल (हरियाणा)
विषय :- सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांग करने बारें ।
श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं अजीत पुत्र भी सुबे सिंह निवासी गांव चुलकाना धाम तहसील समालखा जिला पानीपत का रहने वाला हुँ । और में खेती बाड़ी का काम करता हुँ । हम दो भाई है दोनो शादी शुदा है । दिनाक 14-07-2026 को मैं अपनी गाड़ी कार आल्टो जिसका नम्बर-HR-60J 7360 से गुरुग्राम किसी काम से जा रहा था, जब मैं के. एम.पी हाइवे से बादली के पास पहुंचा तो मेरी गाड़ी में अचानक सोर्ट सर्किट हुआ, जिससे गाड़ी में आग लग गई । में आग लगते ही तुरन्त प्रभाव से गाडी से बाहर कुद गया । आग लगने से मेरा चेहरा व दोनो हाथ जल गये । तभी मैने 112 पर कोल की और घटना के बारे में बताया 112 ने उसी समय आग लगने की सुचना फायर ब्रिगेड बाहादुरगढ को दी । उसी समय फायर ब्रिगेड ने मोके पर आकर गाडी में लगी आग को बुझा दिया । उसके बाद मैने बादली पुलिस चौकी में लगले बारे में सुचना दी और बादली के सरकारी हस्पताल में अपना ईलाज करवाया । इसके बाद मैने बीमा कम्पनी में गाडी में आग लगने बारे बतलाया जिस पर कम्पनी के कर्मचारी ने पुलिस रिपोर्ट व फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट प्राप्त लाने बारे में कहा । मैने पुलिस की रिपोर्ट तो चौकी से प्राप्त कर ली है तथा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट प्राप्त करने बारे में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी श्री भगवान जी के मोबाईल न0 98127-50665 पर बात की उसने मेरे को श्री भगवान जी ने एक शपथ पत्र बनवाने और गाडी के कागजात,आधार कार्ड बगैरा लाने बारे कहा । मैने शपथपत्र व सारे कागजात तैयार करके दोबारा श्रीभगवान जी से बात की तो उसने मैरे को कहा कि ये कागजात हफेड के दफतर में पहुँचा दे जहां पर मेरा भान्जा नौकरी करता है । तथा श्री भगवान के भान्जे का मेरे पास फोन भी आया था मैं अपने कागजात लेकर गोहाना श्रीभगवान जी के भान्जे के पास चला गया, तथा मेरे सामने

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

ही श्रीभगवान जी का फोन उसके भान्जे के फोन पर आया । और मैरे से श्री भगवान जी ने बात की तथा दस हजार रुपये रिश्वत की डिमाण्ड की तो मैने कहा कि 10 हजार रुपये तो ज्यादा है जिसपर श्रीभगवान जी ने कहा कि इतना खर्चा तो लग जाऐगा, मेरे दोबारा कहने पर उसने कहा कि आपको 8 हजार रुपये तो आपको देने ही पडेंगे । फिर मैने पुछा की ये रुपये कब देने है । तो उसने कहा कि आज ही दे दो जिस पर मैने श्रीभगवान जी को कहा अभी तो नही है । मेरे पास मैं इन्तजाम करता हुँ । दिनांक 27.07.2026 को मैं शपथपत्र व गाडी के कागजात बगैरा लेकर श्रीभगवान जी से मिलने फायर ब्रिगेड कार्यालय बाहादुरगढ गया । वहा जाकर मैं श्रीभगवान जी से मिला व फायर रिपोर्ट बारे में बातचीत की । मैने श्रीभगवान जी को कहा कि मैं गरीब आदमी हुँ आग से मेरे हाथ व मुहं भी जल गया है, कुछ कम खर्चा ले लो । जिस पर उसने कहा कि मेरो को कुछ पैसे आगे भी देने पडते है आपको 5 हजार रुपये तो देने ही पडेंगे फिर मैने पुछा की ये 5 हजार रुपये कब देने है । उसने कहा की चाहे आज ही दे दो जिस पर मैने दो हजार रुपये व कागजात शपथपत्र बगैरा श्रीभगवान जी को 27 -07-2026 को ही दे दिये । ये सभी बातचीत मैने डिवाईस रिकोर्ड में रिकोर्ड की है । जो उक्त रिकार्डिग को में आपको बाद में पैश कर दुंगा । उसने बचे हुऐ 3 हजार रुपये लेने बारे मेरे को आज बुलाया है । मै उस फायर ब्रिगेड के भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता और उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुँ । श्री भगवान जी से हमारी जातीगत रंजीस नही है । न उसके साथ हमारा पहले से कोई पैसे का लेन-देन है मैं चाहता हुँ कि श्रीभगवान फायर ब्रिगेड कर्मचारी बाहादुरगढ के खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जाए । हस्ता अंग्रेजी Ajit प्रार्थी

अजीत पुत्र श्री सुबे सिंह

निवासी गांव चुलकाना धाम

तहसील समालखा जिला

पानीपत (हरियाणा)

फोन न. 8571857145

दिनांक 04.08.2026

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 04.08.2026 को मन निरीक्षक मय ASI सन्दीप न0 79/दादरी, ASI कपील न0 12/JJR, HC कपील न0 238/झज्जर, EHC सुमीत न0 1637/झज्जर वा सिपाही मोहित न0 2175/सोनीपत बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR 03GV-7962 चालक EASI जगबीर न0 391/कैथल के बराये खुफिया डियुटी में मकडोली टोल पानीपत रोड रोहतक के नजदीक मौजुद था कि अजीत सिंह

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S/O श्री सुबेसिंह वासी गांव चुलकाना धाम जिला पानीपत ने पेश होकर मेरे सम्मुख एक दरखास्त पेश कि और अपने और श्रीभगवान कर्मचारी कार्यालय फायर ब्रिगेड बाहादुरगढ के बीच रिश्वत लेन देन की बातचीत की रिकार्डिंग को सुनाया जो इस सूचना बारे उच्च अधिकारीयो को अवगत कराया गया । जिन्होने शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने बारे कहा । जो दरखास्त एंव रिकार्डिंग के मजबून से मामला सरेदस्त जुर्म 7 PC Act का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC सुमित न0 1637/झज्जर के थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक भेजी जा रही है । बाद करके दर्ज अभियोग नम्बर अभियोग से सुचित किया जावे और अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट अफशरानबाला व ईलाका मजिस्ट्रैट साहब की सेवा मे नियमा अनुसार भिजवाई जावे । मेरे द्वारा एक दरखास्त बराये नियुक्त राजपत्रित अधिकारी व स्वतन्त्र गवाह ई-मेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक को भेजी गई । जो बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी व स्वतन्त्र गवाह से सम्पर्क करके नियमा अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

अज- मकडोली टोल पानीपत रोड रोहतक
हस्ता- हिन्दी रामचन्द्र INSP
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार
निरोधक ब्यूरो
रोहतक मण्डल रोहतक
दिनांक 04.08.2026
AT.1.25 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 23 दिनांक 04.08.2026 U/S 7 P.C Act थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई । जो अफसरान बाला व डयुटी मैजिस्ट्रेट साहब झज्जर को स्पैशल रिपोर्ट बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा भेजी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके डयुटी मैजिस्ट्रैट साहब झज्जर को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा ई/मुख्य सिपाही सुमित कुमार न0 1637/झज्जर की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से CDC निरीक्षक मनोज कुमार न0 1136/रेवाडी की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)**
Rank (पद): I (Inspector)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
RAM CHANDER

No. (सं.): 255H **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 918814011652

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**
District (ज़िला):

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): VIJAY SINGH

Rank (पद): DCP (Deputy Commissioner of Police)

No. (सं.): HPS

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट